

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में विशेष घटक पैकेज योजनान्तर्गत तालाब मत्स्यिकी विशेष सहायता योजना (अंत्यत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अनुदान 70 प्रतिशत), पठारी क्षेत्र आधारित तालाब निर्माण योजना (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अनुदान 80 प्रतिशत) की योजना हेतु :-

सहमति पत्र

योजना का नाम (कृपया सही विकल्प को ☒ करें।)

(1) तालाब मत्स्यिकी विशेष सहायता योजना ☐

(2) पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना ☐

मैं श्री /श्रीमतीपिता/पति.....ग्राम.....

पोस्ट.....प्रखण्ड.....थाना.....जिला.....

का निवासी हूँ एवं सहमति पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि

- मैं मत्स्य उत्पादन हेतु योजना अंतर्गत नया तालाब का निर्माण.....(स्थान का नाम) में करना चाहता/चाहती हूँ एवं..... जाति से आता/आती हूँ।
- चयनित योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान के अतिरिक्त अंशदान (श्रेणी अनुरूप) का वहन मेरे द्वारा स्वयं किया जायेगा/जायेगी।
- योजनान्तर्गत विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश/सलाह का पालन करूँगा/ करूँगी।
- मेरे द्वारा आवेदन में दी गयी सभी सूचना सही है एवं इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विभाग कोई अन्यथा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर:-

गवाह:-

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में विशेष घटक पैकेज योजनान्तर्गत तालाब मत्स्यिकी विशेष सहायता योजना (अंत्यत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अनुदान 70 प्रतिशत), पठारी क्षेत्र आधारित तालाब निर्माण योजना (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अनुदान 80 प्रतिशत) की योजना हेतु :-

शपथ पत्र

योजना का नाम (कृपया सही विकल्प को ☒ करें।)

(1) तालाब मत्स्यिकी विशेष सहायता योजना ☐

(2) पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना ☐

मैं श्री /श्रीमतीपिता/पति.....ग्राम.....
पोस्ट.....प्रखण्ड.....थाना.....जिला.....

का निवासी हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि

- मैं योजनान्तर्गत इकाई लागत तथा अनुदान राशि के अंतर राशि का वहन स्वयं करूँगा/करूँगी।
- मैं योजनान्तर्गत इकाई लागत से अधिक राशि के वहन होने पर अतिरिक्त राशि का वहन स्वयं करूँगा/ करूँगी।
- योजनान्तर्गत अनुदान प्राप्त करने के पश्चात अगर मेरे द्वारा किन्ही कारणों से योजना पूरी नहीं की जाती हैं तथा मत्स्य उत्पादन का आंकड़ा पंजी आदि कार्यालय में समर्पित नहीं की जाती है तो उस परिस्थिति में मेरे द्वारा प्राप्त अनुदान की राशि वापस की जाएगी अन्यथा राशि की वसूली हेतु विभाग द्वारा मेरे विरुद्ध नीलाम पत्रवाद दायर किया जाएगा। साथ ही मुझे काली सूची में डाल दिया जाएगा एवं किसी भी विभागीय योजना का लाभ देय नहीं होगा।
- मेरे द्वारा तालाब निर्माण का कार्य निजी/ पट्टा पर ली गयी विवाद रहित भूमि पर कराया जाएगा जिसमें निर्माण के उपरांत विभाग के दिशा निर्देश में मत्स्य पालन का कार्य करूँगा/ करूँगी।
- योजनान्तर्गत विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश/सलाह का पालन करूँगा/ करूँगी।
- मेरे द्वारा आवेदन के माध्यम से प्रदान की गयी सभी सूचना सही है एवं इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विभाग कोई अन्यथा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर:-

नाम:-

मो0 नं0:-

गवाह:-